भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 800
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

800. श्री सुब्बारायण के.:

श्री सेल्वाराज वी.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70 प्रतिशत स्वास्थ्य देखभाल निजी क्षेत्र में है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या देश में सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए पर्याप्त निधियां हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-2021) के अनुसार, 48.2% परिवार के सदस्य बीमार होने पर सामान्यतया निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करते हैं, जबकि 50.1% परिवार के सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग (**अनुलग्नक-I**) करते हैं। एनएफएचएस-5 इंडिया रिपोर्ट लिंक https://www.nfhsiips.in/nfhsuser/index.php पर देखी जा सकती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश में लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी तथा न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त कराना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में इसके दो उप-मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शामिल हैं। मुख्य कार्यक्रम के घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना, प्रजनन-मातृ-नवजात-शिशु और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए), तथा संचारी और गैर-संचारी रोग शामिल हैं।

स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जन स्वास्थ्य सुविधाओं में आवश्यक दवाएं और निदान निशुल्क प्रदान करने के लिए निशुल्क दवा और निशुल्क निदान पहल शामिल है। एनएचएम के तहत, राज्यों को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उन्नत

लाइफ सपोर्ट (एएलएस), बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) और रोगी परिवहन वाहन (पीटीवी) एम्बुलेंस प्रणाली द्वारा देश में रेफरल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग दिया जाता है। एमएमयू दूरदराज, दुर्गम और पहुंच में मुश्किल क्षेत्रों में सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करने के लिए आउटरीच गतिविधियां आयोजित करते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनएचएम के तहत केंद्रीय रिलीज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक -II** में दिया गया है।

सरकार ने चार मिशन मोड परियोजनाएं नामत: पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूर्व में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) शुरू की हैं।

पीएम-एबीएचआईएम प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों की क्षमता विकसित करने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा नई और उभरती बीमारियों का पता लगाने और इलाज के लिए नए संस्थान बनाने के लिए शुरू किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत केंद्रीय रिलीज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक -III** में दिया गया है।
1.74 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से, उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, संचारी रोगों, गैर-संचारी रोगों और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों को शामिल करते हुए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहन, पुनर्वास और उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करते हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से को 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। सार्वजनिक अस्पतालों को एबी पीएम-जेएवाई के तहत पैनलबद्ध माना जाता है। इसलिए, अंतरंग परिचर्या वाले सभी सार्वजनिक अस्पताल पात्र लाभार्थियों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। योजना के तहत सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है। सार्वजनिक अस्पतालों को प्राप्त धन का उपयोग सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के संवर्धन और लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए जाने की उम्मीद है।

वर्ष 2018-19 के लिए एबी पीएम-जेएवाई का बजट अनुमान 2400 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 के लिए 7300 करोड़ रुपये था।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का सहयोग करने के लिए आवश्यक आधार विकसित करना है। यह डिजिटल हाइवे के माध्यम से हेल्थकेयर इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतराल को दूर करेगा। नवंबर, 2024 तक, 69 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) बनाए गए हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन 2017-18 (बजट अनुमान) के 47,353 करोड़ रुपये से 85% बढ़कर 2024-25 (बजट अनुमान) में 87,657 करोड़ रुपये हो गया है।

***

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 800 के भाग (क) से (घ) के उत्तर **में उल्लिखित** अनुलग्नक

अनुलग्नक - I

स्वास्थ्य परिचर्या के स्रोत के अनुसार परिवारों का प्रतिशत वितरण जिसका उपयोग परिवार के सदस्य आमतौर पर बीमार होने पर करते हैं-एनएफएचएस-5 (2019-21)

स्रोत	कुल
सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र	50.1
सरकारी/नगरपालिका अस्पताल	20.2
सरकारी औषधालय	1.9
यूएचसी/यूएचपी/यूएफडब्ल्यूसी	1.5
सीएचसी/ग्रामीण अस्पताल/ब्लॉक पीएचसी	14.6
पीएचसी/अतिरिक्त पीएचसी	10.3
उप-केन्द्र	1.2
वैद्य/हकीम/होम्योपैथ (आयुष)	0.2
अन्य जन स्वास्थ्य क्षेत्र	0.2
एनजीओ या ट्रस्ट अस्पताल/क्लिनिक	0.5
निजी स्वास्थ्य क्षेत्र	48.2
निजी अस्पताल	17.6
निजी डॉक्टर/क्लिनिक	28.2
निजी पैरामेडिक	0.4
वैद्य/हकीम/होम्योपैथ (आयुष)	0.1
पारंपरिक उपचारक	0.1
फार्मेसी/दवा की दुकान	0.7
अन्य निजी स्वास्थ्य क्षेत्र	1.0
अन्य स्रोत	1.2
दुकान	0.1
घरेलू उपचार	0.1
अन्य	1.0
कुल	100

स्रोत: एनएफएचएस-5 राष्ट्रीय रिपोर्ट; https://www.nfhsiips.in/nfhsuser/publication.php

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 800 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

अनुलग्नक II

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यवार केंद्रीय रिलीज

रुपये करोड़ में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	43.68	45.26	37.84
2	आंध्र प्रदेश	1,199.37	1,489.45	1,096.01
3	अरुणाचल प्रदेश	188.53	233.82	404.55
4	असम	1,955.93	1,981.83	2,257.06
5	बिहार	1,748.76	1,586.57	2,032.95
6	चंडीगढ़	17.47	38.09	30.58
7	छत्तीसगढ	969.61	1,195.08	875.80
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	38.59	58.28	39.92
9	दिल्ली	127.37	35.15	150.54
10	गोवा	26.01	55.42	48.97
11	गुजरात	1,094.48	1,120.06	1,506.96
12	हरियाणा	577.07	681.21	524.01
13	हिमाचल प्रदेश	555.09	494.65	470.36
14	जम्मू और कश्मीर	459.10	651.52	805.22
15	झारखंड	640.18	810.30	958.06
16	कर्नाटक	1,274.71	1,246.67	1,187.60
17	केरल	771.47	1,036.76	189.15
18	लद्दाख	44.79	94.95	120.44
19	लक्षद्वीप	8.41	9.97	3.79
20	मध्य प्रदेश	2,295.66	2,582.10	2,545.68
21	महाराष्ट्र	1,769.67	2,187.13	2,729.30
22	मणिपुर	95.59	61.40	169.12
23	मेघालय	282.46	261.56	261.39
24	मिजोरम	93.82	111.82	134.42
25	नागालैंड	126.66	91.38	184.84
26	ओडिशा	1,263.07	1,284.69	1,901.77
27	पुदुचेरी	21.33	20.73	30.80
28	पंजाब	349.21	448.89	91.49
29	राजस्थान	1,924.95	1,460.80	2,785.46
30	सिक्किम	51.86	73.30	68.17
31	तमिलनाडु	1,631.91	1,652.24	1,996.06
32	तेलंगाना	725.67	683.77	564.93
33	त्रिपुरा	217.95	231.90	264.31
34	उत्तर प्रदेश	3,235.46	5,133.59	4,928.14
35	उत्तराखंड	553.47	505.01	711.33
36	पश्चिम बंगाल	1,654.26	1,252.32	890.42

नोट: उपरोक्त जारी निधियां केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 800 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

अनुबंध- III

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत से लेकर वित्त वर्ष 2023-24 तक राज्यवार केंद्रीय निर्गत

रुपये करोड़ में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	1.11	-
2	आंध्र प्रदेश	3.75	15.76	35.78
3	अरुणाचल प्रदेश	0.56	0.10	8.83
4	असम	57.90	2.26	91.45
5	बिहार	125.86	7.17	-
6	चंडीगढ़	-	4.79	10.38
7	छत्तीसगढ	11.25	1.34	32.23
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	0.24	0.28
9	दिल्ली	-	-	-
10	गोवा	-	0.06	3.75
11	गुजरात	-	29.54	46.04
12	हरियाणा	11.06	1.31	17.67
13	हिमाचल प्रदेश	-	28.05	15.69
14	जम्मू और कश्मीर	16.11	1.00	44.01
15	झारखंड	44.70	183.04	102.27
16	कर्नाटक	11.25	37.10	100.57
17	केरल	3.75	24.89	-
18	लद्दाख	-	0.00	0.62
19	लक्षद्वीप	-	0.63	-
20	मध्य प्रदेश	22.85	98.70	228.52
21	महाराष्ट्र	17.45	4.07	31.76
22	मणिपुर	4.56	10.92	13.78
23	मेघालय	9.65	43.28	4.42
24	मिजोरम	0.28	1.52	4.52
25	नागालैंड	0.28	0.08	4.42
26	ओडिशा	32.15	211.46	171.58
27	पुदुचेरी	0.42	0.19	2.67
28	पंजाब	-	24.16	-
29	राजस्थान	45.37	83.59	173.06
30	सिक्किम	-	0.75	3.88
31	तमिलनाडु	17.45	150.42	279.36
32	तेलंगाना	11.25	53.88	95.21
33	त्रिपुरा	-	0.90	2.48
34	उत्तर प्रदेश	124.63	173.71	247.96
35	उत्तराखंड	1.56	32.31	-
36	पश्चिम बंगाल	9.95	-	30.91

नोट: उपरोक्त जारी निधियां केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

******